वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नंबर 5 बीसी–110, वरसिद्धि तीसरी मंजिल, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर–560043
वेबसाइटः www.varthana.com, ईमेलः care@varthana.com, फोनः 080–68455777
शाखा कार्यालयः यूनिट नं. 36, द्वितीय तल पर्ल्स ओमेक्स टॉवर, प्लॉट बी 1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034.

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री नोटिस

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और बंधककर्ता(ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो सुरक्षित ऋणदाता को गिरवी/प्रभारित की गई है, जिसका कब्जा मेसर्स वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली (जिसे पहले बिरयेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित ऋण खाते की वसूली के लिए 14.08.2026 (शुक्रवार) को दोपहर 1 बजे, "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) की सुरक्षित संपत्ति/बकाया/आरक्षित मूल्य/नीलामी तिथि और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

उधारकर्ता/बंधककर्ताओं का नामः 1. मेसर्स सर्वोदय पब्लिक स्कूल, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्वित 2. मेसर्स सर्वोदय वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसायटी, अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से प्रतिनिधित्वित 3. श्री शब्बीर अहमद, पुत्र श्री मोहम्मद इलियास 4. श्री मुबीन खान, पुत्र श्री इनसाद अली ऋण खाता संख्या : S24DEL028935A

कुल बकाया राशि का विवरणः रु. 24,90,081/– (रुपये चौबीस लाख नब्बे हजार इक्यासी मात्र) दिनांक 01.07.2026 तक, तथा उक्त राशि पर संपूर्ण बकाया राशि की वसूली/वास्तविक प्राप्ति तक अनुबंधानुसार सहमत ब्याज की दर एवं विधिक व्यय/प्रभार अतिरिक्त देय होंगे।

अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि जिसका कुल क्षेत्रफल 3811.55 वर्ग गज (8 कनाल और 6 मरला), जो खसरा संख्या 110/2 (7–16), 99 किला संख्या 21/2 (1–7) और 22 (6–3) में शामिल है, जो गांव सकरास, तहसील फिरोजपुर झिरका, जिला मेवात (नूंह), हरियाणा के लेआउट प्लान में स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्वः ममराज का मकान, पश्चिम : 16 फुट चौड़ी गली, उत्तरः कृषि भूमि, दक्षिणः अन्य की भूमि/20 फुट चौड़ी सड़क

उक्त संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 75,25,560/– बयाना राशि (ईएमडी), (आरक्षित मूल्य का 10%) रु. 7,52,556/– निर्धारित की गई है।

ज्ञात भार, यदि कोई होः शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं को अपना ईएमडी राशि और बोली राशि के साथ केवाईसी दस्तावेज (पैन कार्ड और आधार/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस) और रुपये 1,000 का गैर–वापसी योग्य निविदा शुल्क डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा जो "मेसर्स वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड" के पक्ष में अनुसूचित बैंक पर 13–08–2026 (वीरवार) को अपरा. 03 बजे से पूर्व दिल्ली में देय हो

नीलामी यहां आयोजित की जाएगी : दिनांक 14.08.2026 (शुक्रवार) दोपहर 1.00 बजे, शाखा कार्यालयः यूनिट नं. 36, द्वितीय तल पर्ल्स ओमेक्स टॉवर, प्लॉट बी 1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली – 110034.

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कंपनी की वेबसाइट **www.varthana.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी श्री आदित्य – फोन नंबर 9778820906, सुश्री दीपा जया सुवर्णा – फोन नंबर 9702355034 से संपर्क कर सकते हैं।

तारीखः 11–07–2026,
स्थानः बैंगलोर

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
वर्थाना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः– यूनिट नंबर 103, प्रथम तल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी–कुर्लारोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400059

कब्जा सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(2) के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरी सुरक्षाकरण, वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप मे और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 2002 के तहत उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं पर डिमांड नोटिस जारी किया है जिसमे यह कहा गया है कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकानी होगी। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता और आम जनता को कोई सूचना नहीं दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित नीचे दी गई तारीखों कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का नाम और पता और मांग सूचना की तारीख	संपत्ति(यों) का विवरण और कब्जे की तारीख	कब्जा नोटिस में मांगी गई राशि (रू.मे)
1. सरफराज (आवेदक), 2. खुश्नसीब (सह–आवेदक 1), 3. खुश्नुदा (सह–आवेदक 2) पताः खसरा नं. 515, ग्राम इमलीखेड़ा, दरामपुर, परंगा, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पास, रुड़कीहो, उत्तराखंड 247667, मांग नोटिस की तिथि 06 अप्रैल 2026, **ऋण खाता संख्या 4021060000360870 (PR01410714)**	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं भूखंड जो स्थित हैः खसरा नं. 515, ग्राम इमलीखेड़ा, दरामपुर,परंगा, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पास, रुड़की, उत्तराखंड 247667, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं पूर्वः भगवानपुर– धनौरीरोड, पश्चिमः शेष भूमि, उत्तरः हरदेव सिंह की खाली भूमि, दक्षिणः विक्रेता की खाली भूमि प्रतीकात्मक कब्जे की तिथिः 11 जुलाई, 2026	13 मार्च 2026 तक रु. 2126569/– (रुपये इक्कीस लाख छबीस हजार पांच सौ उनहत्तर मात्र), साथ ही 14 मार्च 2026 की तारीख से अप्रयुक्त ब्याज सहित,
1. कृष्णकांत दीक्षित (आवेदक), 2. ममता (सह–आवेदक 1), 3. विशन देवी (सह–आवेदक 2), पताः प्लॉट संख्या 17 का भाग, खसरा संख्या 123 एवं 124, रघुनाथपुरी, मौजा, बालकपुर, तहसील एवं जिला मथुरा 281004। मांग नोटिस की तिथि 27 मार्च 2026 **ऋण खाता संख्या SBFCLAP000031457 (PR01482034) एवं SBFCLAP000058350 (PR01527186)**	वह समस्त भूमि एवं संपत्ति का टुकड़ा, जो प्लॉट संख्या 17 के भाग, खसरा संख्या 123 एवं 124, रघुनाथपुरी, मौजा, बाल. कपुर, तहसील एवं जिला मथुरा 281004 में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर है। सीमाएंः पूर्वः अन्य का प्लॉट पश्चिमः 15 फीट चौड़ी सड़क उत्तरः बग्गो पंडित का मकान दक्षिणः पन्ना लाल का मकान प्रतीकात्मक कब्जे की तिथिः 11 जुलाई, 2026	दिनांक 14 मार्च, 2026 तक रु.2178085/– (रुपये इक्कीस लाख अठहत्तर हजार आठ सौ पचासी मात्र), साथ ही 15 मार्च, 2026 की तारीख से अप्रयुक्त ब्याज सहित,
1. कासिम, 2. आरिफ, 3. अरफिन, 4. गुलिस्ताना, पताः व्यापारी रयानागल राय मथुरा, उत्तर प्रदेश – 281 204। और साथ ही, यहांः 1एं. कासिम खसरा संख्या 214, मौजा गोंगा, तहसील एवं जिला मथुरा, पिनकोड–281 204। मांग नोटिस की तिथि 21 अप्रैल 2026 **ऋण खाता संख्या CBMAT00007101897 (PR01525881) एवं CBMAT00007152428 (PR01559942)।**	खसरा संख्या 214 के भाग का वह समस्त टुकड़ा एवं पार्सल, माप 164.91 वर्गमीटर, मौजा गोंगा, तहसील एवं जिला मथुरा, पिनकोड–281 204। उक्त संपत्ति की सीमाः– पूर्व की ओर – अनवर की भूमि पश्चिम की ओर – सलीम की भूमि उत्तर की ओर – सड़क 8 फीट दक्षिण की ओर – गुलफाम की भूमि प्रतीकात्मक कब्जे की तिथिः 11 जुलाई, 2026	12 मार्च 2026 तक रुपये 2457330/– (रुपये चौबीस लाख सतावन हजार तीन सौ तीस मात्र) तथा 13 मार्च 2026 की तारीख से अप्रयुक्त ब्याज सहित,

सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान – मथुरा/उत्तर प्रदेश/रुड़की/उत्तराखंड, दिनांक – 15.07.2026

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड।

सांकेतिक कब्जा सूचना

ICICI Bank

पंजीकृत कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक टावर, चकली सर्किल के पास, ओल्ड पाड्रा रोड, वडोदरा, गुजरात – 390007
कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
क्षेत्रीय कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई टावर, एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

नियम–8 (1)
कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जैसाकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) के तहत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (जिसे आगे '' आईसीआईसीआई बैंक '' कहा गया है) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''नियम'') के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 21 अप्रैल, 2026 को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें इवर्ज स्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (''कर्जदार / प्रतिभूति प्रदाता/ सह–आवेदक''), सुश्री मीनू सप्रा (''कर्जदार, व्यक्तिगत गारंटर और प्रतिभूति प्रदाता'') तथा श्री सुमित पाल सिंह (''व्यक्तिगत गारंटर/ सह–आवेदक'') (कर्जदार, प्रतिभूति प्रदाता, सह– आवेदक तथा व्यक्तिगत गारंटर एतद्द्वारा सामूहिक रूप से ''दायित्वधारी'' कहे गए हैं) से सूचना में वर्णितानुसार 18 अप्रैल, 2026 तक बकाया राशि **रुपये 8,59,04,170.39 (रुपये आठ करोड़ उनसठ लाख चार हजार एक सौ सत्तर और पैसे उन्तालीस मात्र)** उसके भुगतान/ वसूली की तिथि तक आगे संविदात्मक दर पर ब्याज, चूक प्रीमिया, लागत, प्रभार इत्यादि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने की मांग की गई थी।

दायित्वधारी राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसलिए दायित्वधारियों और सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा 10 जुलाई, 2026 को ले लिया है।

दायित्वधारियों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार नहीं करने हेतु चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार बैंक की 02 जुलाई, 2026 तक बकाया राशि **रुपये 8,75,08,550.39 (रुपये आठ करोड़ पचहत्तर लाख आठ हजार पांच सौ पचास और पैसे उन्तालीस मात्र)** + उस पर भुगतान की तिथि तक संविदात्मक दर पर आगे ब्याज, चूक ब्याज, प्रीमिया, लागत, शुल्क इत्यादि के प्रभार के अधीन होगा।

दायित्वधारियों का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

प्रत्याभूत आस्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : डीएलएफ कुतब एन्क्लेव कॉम्प्लेक्स के नाम से ज्ञात आवासीय कालोनी (अब डीएलफ सिटी), फेज – II, ग्राम सरहौल, गुरुग्राम, हरियाणा – 122002 में रोड जे–1 पर सुश्री मीनू सप्रा के नाम आवासीय बिल्डिंग नंबर 30 में सम्पूर्ण तृतीय तल, छत / टेरेस के अधिकार नहीं, सभी सुविधाओं सहित जो इस आवासीय बिल्डिंग का अंश एवं खंड हैं। **चौहद्दी : पूरब में:** प्लॉट नंबर जे – 1 / 31, **पश्चिम में** प्लॉट नंबर जे – 1 / 29, **उत्तर में:** 71, आकाशनीम मार्ग, **दक्षिण में:** रोड

दिनांक : 15 जुलाई, 2026
स्थान : गुरुग्राम

प्राधिकृत अधिकारी
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

बी–17, चौथी मंजिल, आर्ट गिल्ड हाउस, फीनिक्स मार्केट सिटी, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई– 400070

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अधीन

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत यूग्रो कैपिटल लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी करता हूं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहा गया है। अधोहस्ताक्षरी का मानना है कि उधारकर्ता मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार मांग नोटिस को चिपकाकर और प्रकाशित करके तामील किया जा रहा है। मांग नोटिस की सामग्री इस प्रकार है:

क्र.सं.	कर्जदार का नाम	मांग सूचना की तिथि एवं राशि
1	1) प्रोफेशनल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड 2) अनीता सिंघल 3) सीवर्क्स रैफरल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड 4) आकांक्षा सिंघल लैन: UGDELTH00000004763	मांग सूचना तिथि 15.06.2026 रु. 48,47,087.00 (रु. अड़तालीस लाख सैंतालीस हजार सत्तासी मात्र) दिनांक 15.06.2026 तक

सुरक्षित संपत्ति का विवरणः पूरी पहली मंजिल, बिना छत/टेरेस के अधिकारों के, क्षेत्रफल 66.50 वर्ग गज, फ्रीहोल्ड सम्पत्ति नंबर जी–167–बी के उत्तरी हिस्से पर बनी, खसरा नंबर 802, 803, 839 और 840 में से, तिहाड़ गाँव के इलाके में और जी–ब्लॉक नाम की कॉलोनी में, हरि नगर, नई दिल्ली–110064 सीमाएँ – पूर्वः सड़क, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः सम्पत्ति नंबर जी–167–ए का बचा हुआ आधा हिस्सा,
पूरी दूसरी मंजिल, बिना छत/टेरेस के अधिकारों के, क्षेत्रफल 66.50 वर्ग गज, फ्रीहोल्ड सम्पत्ति नंबर जी–167–बी के उत्तरी हिस्से पर बनी, खसरा नंबर 802, 803, 839 और 840 में से, तिहाड़ गाँव के इलाके में और जी–ब्लॉक नाम की कॉलोनी में, हरि नगर, नई दिल्ली–110064 सीमाएँ – पूर्वः सड़क, पश्चिमः सड़क, उत्तरः सड़क, दक्षिणः सम्पत्ति नंबर जी–167–ए का बचा हुआ आधा हिस्सा

उधारकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि वे मांग सूचना का पालन करें और इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर, लागू ब्याज, विलंब भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और खर्च सहित, मांग राशि का भुगतान करें। उधारकर्ता यह ध्यान रख सकते हैं कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के साथ उधारकर्ता द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो उग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना शामिल है, लेकिन यह बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि की वसूली तक सीमित नहीं है। यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति को संलग्न और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्ति की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के पास बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित संपत्ति का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपचार यूग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए किसी भी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपचारों के अतिरिक्त और उनसे स्वतंत्र है। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्ति को वापस छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, उधारकर्ता को यूग्रो कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बेचने, पट्टे (लीज) पर देने या किसी अन्य तरीके से हस्तांतरित करने (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) से प्रतिबंधित/वर्जित किया जाता है। उपरोक्त का पालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और यदि ऋणकर्ता चाहें, तो वे इसे अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : उत्तर प्रदेश
दिनांक : 15.07.2026

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
कृते यूग्रो कैपिटल लिमिटेड, authorised.officer@ugrocapital.com

---

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी-बिल्डिंग, गंगा टूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र–411014. शाखा कार्यालय इकाईः तृतीय तल, प्लॉट नं. 03, कॉमर्शियल सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201012

ई–नीलामी – बिक्री सूचना

(सरफैसी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसम्पत्ति की बिक्री)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों/सह–ऋणधारकों/गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि गृहम हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (पूर्व का पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (अधिनियम के अनुसार इसके पश्चात 'प्रतिभूत लेनदार' संदर्भित) के पास गिरवी नीचे वर्णित सम्पत्ति जिसका अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत कम्पनी के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा किया गया था।

प्रतिभूत आस्ति की बिक्री कॉलम (जे) में उल्लिखित के अनुसार ई–नीलामी के माध्यम से **'जैसा है जहां है', 'जो है यही है' तथा 'जो कुछ भी है वहीं है'** आधार पर 31.07.2026 को की जायेगी। एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट यानी **www.grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (A)	मांग सूचना की तिथि तथा बकाया राशि (B)	कब्जे की प्रकृति {C}	सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (E)	ईएमडी (आरपी का 10%) (F)	ईएमडी जमा करने की तिथि (G)	संविदा वृद्धि (H)	सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/कोर्ट के मामले, यदि कोई हो, (K)
1	ऋण संख्या HL00399100000005064449 हरगोविंद गोविंद (कर्जदार) कुसुम कुसुम (सह–कर्जदार)	नोटिस की तिथिः 11–02–2026 कुल बकाया राशिः रु. 11,34,321/– (रुपये ग्यारह लाख चौंतीस हजार तीन सौ इक्कीस मात्र), जो 11–02–2026 तक देय है, साथ ही भुगतान होने तक 13.85% वार्षिक दर से ब्याज।	भौतिक	प्लॉट नंबर 46 का पूरा हिस्सा (क्षेत्रफल 40 वर्ग गज), जो खसरा नंबर 938 का हिस्सा है और न्यू विकास नगर फेज–2, गांव लोनी, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित है। (इसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा) और संपत्ति की सीमाएंः 13.05.2013 के सेल डीड के अनुसार – पूर्वः 20 फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिमः 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तरः दूसरे मालिक का प्लॉट, दक्षिणः अन्य लोगों का प्लॉट।	रु. 630000/– (रुपये छः लाख तीस हजार मात्र)	रु. 63000/– (रुपये तिरेसठ हजार मात्र)	30–07–2026 को 5 बजे अप. तक	10,000/–	21–07–2026 (11 बजे पूर्वा. –4 बजे अप.)	31–07–2026 (11 बजे पूर्वा. –2 बजे अप.)	निल
2	ऋण संख्या HL00399100000000500 2791 सौरभ कुमार (कर्जदार) अनीता कुमारी (सह–कर्जदार)	नोटिस की तिथिः 06–02–2025 कुल बकाया राशिः रु. 11,26,126/– (रुपये ग्यारह लाख छब्बीस हजार एक सौ छब्बीस मात्र), जो 06–02–2025 तक देय है, साथ ही भुगतान होने तक 10.6% वार्षिक दर से ब्याज।	भौतिक	फ़्लैट नंबर जीएफ–02 का पूरा हिस्सा, जो रेजिडेंशियल प्लॉट नंबर ए–91 (क्षेत्रफल 96 वर्ग गज यानी 80.26 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1307 ट्रल्ल का हिस्सा) पर बना है और हयात एन्क्लेव रेजिडेंशियल कॉलोनी, गांव लोनी, परगना व तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। (इसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा)। टेक्निकल रिपोर्ट के अनुसार सीमाएंः पूर्वः प्लॉट नंबर ए–92, पश्चिमः प्लॉट नंबर ए–90, उत्तरः 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः दूसरे मालिक का प्लॉट। क्षेत्रफलः 96 वर्ग गज।	रु. 500000/– (रुपये पांच लाख मात्र)	रु. 50000/– (रुपये पचास हजार मात्र)	30–07–2026 को 5 बजे अप. तक	10,000/–	21–07–2026 (11 बजे पूर्वा. –4 बजे अप.)	31–07–2026 (11 बजे पूर्वा. –2 बजे अप.)	निल

इच्छुक बोलीदाताओं से आग्रह है कि शाखा में जाकर नीलामी की संपत्ति निरीक्षण करें तथा प्रभारों, अधिभारों की जानकारी प्राप्त करें। क्रेता अपने स्वयं की पूछताछ करें तथा अतिरिक्त प्रभारों, अधिभारों तथा सभी दृष्टियों पर किसी भी तृतीय पार्टी के हितों की जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। सभी सांविधिक बकाए जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी के बकाये तथा संपत्ति से जुड़ी अन्य बकाए, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता को ही करना होगा।

इच्छुक बोलीदाताओं को अग्रिम में पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा तथा लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जिसे नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पता : प्लॉट नं. 68, तीसरी मंजिल, गुरुग्राम, हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124, 25, 26, सपोर्ट ई–मेल आईडी : Support@bankeauctions.com सम्पर्क व्यक्ति : धरनी पी, ई–मेल आईडी : dharni.p@c1india.com संपर्क नं. 9948182222 से अनिवार्य है। कृपया ध्यान रहे कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ही ई–नीलामी पर ऑन लाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को कॉलम(G) के अनुसार **''गृहम हाउसिंग फाइनांस लि.–ऑक्शन प्रोसीड्स खाता'', बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता नं.** 091551000028 **तथा आईएफएससी कोडः ICIC0000915**, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर–411014 की खाता में किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) की राशि कॉलम (जी) में उल्लिखित तिथि तक जमा करनी होगी तथा https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा सेवा प्रदाता से निशुल्क यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा तथा ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद इच्छुक क्रेता/ बोलीदाता को अधोलिखित दस्तावेजों प्रतियों को अपलोड, ईमेल करना होगा तथा स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी पताः तृतीय तल, प्लॉट नं. 03, कॉमर्शियल सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201012, **मोबाइल नंबर** +91 8281138143 **ई–मेल आईडी : p.adith@grihumhousing.com** पर भेजना होगा।

ई–नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://www.bankeauctions.com तथा www.grihumhousing.com पर जाएं।**

इस नोटिस को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8(6) के तहत कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को 15 (पन्द्रह) दिनों का नोटिस माना जाए।

नोटः किसी भी मामले में अगर स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी अखबार के प्रकाशन की विषय–सामग्री में कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे अंग्रेजी अखबार की विषय–सामग्री ही मान्य होगी।

दिनांकः 15.07.2026, स्थानः दिल्ली

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष
उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-I, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और धारा (ए) के मामले में कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5)
और
के मामले में
इंडस अप्लायंसेज प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय : हाऊस नं. 415, तीसरा फ्लोर, सैनिक विहार, पीतमपुरा, सरस्वती विहार, दिल्ली–110034 में स्थित है
.....याचिकाकर्ता

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 30 जून, 2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क